नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ परिसर में विभिन्न प्रजाति के हरे, सूखे आदि 31 वृक्ष ''जैसे हैं, जहाँ हैं'' के आधार पर नीलामी इस संस्थान पर दिनांक 27–03–2015 को अपराह्न 03:00 बजे आयोजित होगी। इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व रू0 5000–00 (पाँच हजार रूपये मात्र) नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के नाम देय होगा, को जमाकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी की शर्तें आदि संस्थान की वेबसाइट www.sirdup.in पर उपलब्ध है।

महानिदेशक

नीलामी शर्तें

1. वन विभाग द्वारा प्राप्त अनुमति के क्रम में संस्थान परिसर में यथास्थिति 31 वृक्ष जो निम्नवत् हैं :–

क्र0 सं0	प्रजाति / दशा	वृक्षों की गोलाई (मी0 में)	वृक्षों की संख्या
1.	अर्जुन / हरा खड़ा	1.48, 1.70	02
2.	नीम / हरा खड़ा	1.50, 1.28	02
3.	गूलर / हरा खड़ा	4.00	01
4.	शीशम / हरा खड़ा	2.28, 1.75, 1.76	03
5.	केसिया सेमिया / हरा खड़ा	2.32, 2.34, 2.13, 1.80	04
6.	अशोक / हरा खड़ा	1.05, 0.88, 0.52, 0.95, 2.03, 1.30, 1.27, 1.38, 1.19, 1.10	10
7.	यूकेलिप्टस / सूखा खड़ा	1.50, 1.45, 1.41, 1.74	04
8.	जामुन / हरा खड़ा	1.85	01
9.	कंजी / हरा खड़ा	1.73	01
10.	सेमल / हरा खड़ा	2.60	01
11.	आम / हरा खड़ा	1.36	01
12.	महुआ / हरा खड़ा	1.12	01
	योग		**31**

2. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व रू0 5,000.00 (पाँच हजार रूपये मात्र) नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के नाम देय होगा, को जमाकर नीलामी में भाग ले सकते हैं।
3. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात् उक्त धनराशि उसी में समायोजित कर ली जायेगी।
4. उल्लिखित पेड़ों के पातन, ढुलाई आदि की पूरी जिम्मेदारी सम्बन्धित बोलीदाता की होगी।
5. 50 प्रतिशत धनराशि नीलामी के दिन तथा शेष पेड़ों के पातन से पूर्व जमा करना होगा।
6. पूरी धनराशि जमा करने के उपरान्त ही पेड़ों को ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
7. नीलामी के एक सप्ताह के अन्दर ही पेड़ों को ले जाने की अनिवार्यता होगी।
8. पेड़ों के पातन आदि से यदि किसी अन्य पेड़ की क्षति होती है तो उसकी जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
9. उपरोक्त पेड़ों को कार्यालय अवधि में कभी भी देखा जा सकता है।
10. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ को बिना कारण बताये सबसे ऊँची बोली को रद्द करने का अधिकार होगा तथा इस विषय में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

महानिदेशक